भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 195*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना

195* श्री नवीन जिंदल:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना के अंतर्गत कुल राजसहायता परिव्यय का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार यूरिया के वर्तमान मूल्य में संशोधन करने का है जो मार्च, 2018 से अपरिवर्तित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या बढ़ती वैश्विक कीमतों को ध्यान में रखते हुए डीएपी के लिए विशेष राजसहायता, यदि कोई हो, दी जा रही है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना' के संबंध में श्री नवीन जिंदल द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 195* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): खरीफ 2026 के लिए, पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटासयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 41,533.81 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दी है।

(ख): जी नहीं, यूरिया की वर्तमान कीमत में संशोधन करने का सरकार का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पी एंड के उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को नियंत्रणमुक्त रखा गया है और कंपनियां अपने व्यापार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और इनमें उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, की निगरानी करती है, और किसानों को पी एंड के उर्वरकों की किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पी एंड के उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों को वार्षिक/अर्द्ध-वार्षिक रूप से तय करते समय इन कीमतों को शामिल किया जाता है। विभिन्न पोषक तत्वों के लिए सब्सिडी दरों की सिफारिश करते समय देश में पोषक तत्वों की आवश्यकता, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सब्सिडी बोझ और उर्वरकों के एमआरपी जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), जो एक प्रमुख उर्वरक है, को ₹1350 प्रति 50 किलोग्राम बोरी की वहनीय दर पर उपलब्ध कराने के लिए, उक्त अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा, कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण हुए लाभ/नुकसान जैसे 'अन्य लागतों' को सम्मिलित करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न के प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों के लिए प्रदान किए गए हैं।
